आपातकालीन सेवायें/अत्यावश्यक/आज ही जारी हो!

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग

क्रमांकःपीएस/पीएचएस/2011/201   दिनांकः23-12-2011

समस्त सम्भागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

विषयः— राज्य के सेवारत चिकित्सकों द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 से सामूहिक कार्य बहिष्कार के दौरान पोस्टमार्टम एंव मेडिको-लीगल कार्य सम्पादित करवाने के सम्बधं में।

राज्य के सेवारत चिकित्सकों द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 से सामूहिक कार्य बहिष्कार/अनिश्चितकालीन अवकाश पर रहने के कारण विभिन्न अस्पतालों में **पोस्टमार्टम एंव मेडिको-लीगल सेवाओं** की उपलब्धता में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।

उक्त स्थिति के मध्यनजर पोस्टमार्टम एंव मेडिको-लीगल सेवाओं की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले के मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी एंव प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को आदेशित करें कि उनके अधिनस्थ जिले की चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध चिकित्सकों, अधिकृत निजी अस्पतालों के चिकित्सकों तथा आवश्यकता पडने पर सम्बन्धित मेडिकल कालेज अस्पतालों के चिकित्सकों से पोस्टमार्टम एंव मेडिको-लीगल केसेज का कार्य सम्पादित करवायें, ताकि आमजन को पोस्टमार्टम एंव मेडिको-लीगल सेवाओं की उपलब्धता में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नही हो सकें।

(बी.एन. शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव,
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग।
3. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त प्रधानाचार्य एंव नियंत्रक, मेडिकल कालेज-राजस्थान।
5. समस्त सयुंक्त निदेशक, चिकित्सा एंव स्वस्थ्य सेवायें, जोन-राजस्थान
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
7. समस्त प्रमुख चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।

प्रमुख शासन सचिव,
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग